नोट ऑफ डिसेन्ट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

22 अक्टूबर, 2018

एक अलग भुगतान नियामक के लिए आरबीआई का प्रतिरोध यह सवाल उठाता है कि क्या सरकार उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रही है जो खराब ही ना हुआ है?

शायद ही हमें कभी यह देखेने को मिला हो कि भारत में एक नियामक और वह भी देश के केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित कानून के लिए की गयी सिफारिशों पर असंतोष जताया हो।

शुक्रवार को, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से संकेत देने के लिए एक असहमति नोट (डिसेंट नोट) जारी किया कि उनका यह विरोध भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों की निगरानी के लिए यह एक स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना करने के प्रस्ताव से जुड़ा था, जिसे आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भुगतान प्रणाली (पेमेंट सिस्टम) का नियमन केंद्रीय बैंक के पास ही रहना चाहिए। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) कानून, 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की थी।

समिति ने रिपोर्ट के मसौदे में भुगतान संबंधी मुद्दों के लिए एक स्वतंत्र नियामक, भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी) के गठन का सुझाव दिया है।

नोट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक नए पीएसएस विधेयक के पूरी तरह खिलाफ नहीं है, लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे मौजूदा ढाँचा ही हिल जाए और बेहतर तरीके से काम कर रही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना पाने वाले इस ढाँचे में किसी तरह का व्यवधान खड़ा हो जाए।श

आरबीआई ने इसके कारणों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें प्रतिस्पर्धा, नवाचार और ग्राहक संरक्षण उपायों को शामिल किया गया हैं। इसने यह भी तर्क दिया है कि बैंकों द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा समग्र निरीक्षण कम अनुपालन लागत सुनिश्चित करने के अलावा और अधिक प्रभावी होगा।

आरबीआई के अनुसार, भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए एक अलग नियामक का तुक नहीं बनता है, क्योंकि भारत के भुगतान प्रणाली में किसी भी अक्षमता का कोई सबूत नहीं है और वैश्विक रूप से, देश के भुगतान प्रणाली को अच्छी पहचान मिल रही थी।

इसके अनुसार भुगतान और निपटान प्रणाली, मुद्रा का ही एक एक सहायक अंग है जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित है और मौद्रिक नीति के प्रभाव भुगतान प्रणाली के विनियमन के लिए समर्थन प्रदान करता है। बैंकिंग प्रणाली और भुगतान प्रणाली का नियमन समान नियामक द्वारा किए जाने से तालमेल बनता है और पेमेंट मीडियम पर जनता का भरोसा कायम होता है।

आरबीआई के निरीक्षण कार्यों को तैयार करने के लिए अंतर-मंत्रीस्तरीय समिति की सिफारिश वैश्विक वित्तीय आधारभूत संरचना परिदृश्य को देखते हुए कमजोर आधार पर स्थित है। यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड और उस देश के चारों ओर मौजूद दर्जनों संघीय रिजर्व बैंकों के पास भुगतान प्रणाली के संबंध में एक अलग जिम्मेदारी है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सेगमेंट की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की समाशोधन और निपटान, किसी भी अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण है। आरबीआई चाहता है कि इस प्रस्तावित नए बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं इसके गवर्नर द्वारा की जाए।

संक्षेप में, यह अंतर्निहित संदेश दिए जाने की कोशिश की गयी है कि एक ऐसी प्रणाली को बिल्कुल भी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है जो खराब ही ना हुआ हो।

हाँलाकि, नीतिगत मुद्दों पर सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच विचारों के इस संघर्ष पर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि दोनों के बीच बढ़ती दिवार ऐसे समय में आई है जब मैक्रो आर्थिक चुनौतियाँ और बाहरी क्षेत्र के जोखिमों लगातार बढ़ती जा रही है।

GS World टीम...

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान कानूनों में बदलाव के बारे में सरकार की एक समिति की कुछ सिफारिशों के खिलाफ कड़े शब्दों वाला अपना असहमति नोट सार्वजनिक किया है।
- केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भुगतान प्रणाली का नियमन केंद्रीय बैंक के पास ही रहना चाहिए।

क्या है मामला?

- सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) कानून, 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की थी।
- समिति ने रिपोर्ट के मसौदे में भुगतान संबंधित मुद्दों के लिए एक स्वतंत्र नियामक, भुगतान नियामक बोर्ड (आरआरबी) के गठन का सुझाव दिया है।
- रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि ने समिति को जो असहमति नोट दिया है उसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक से बाहर भुगतान प्रणाली के लिए अलग नियामक का कोई मामला नहीं बनता है।

क्या है?

- भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड (बीपीएसएस), भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति देश में भुगतान प्रणाली पर नीति निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- बीपीएसएस को नीतियों को प्राधिकृत और विहित करने और देश में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मानकों की स्थापना के लिए सशक्त बनाया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसके दिशानिर्देशों को निष्पादित करता है।
- भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित की जाती है जिसका कानून दिसंबर 2007 में बनाया गया था।
- इसके अंतर्गत बनाए गए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 दिनांक 12 अगस्त, 2008 से प्रभावी हुए।

दूसरे देशों में क्या हैं नियम?

- डिजिटल पेमेंट्स में बैंक खातों के बीच लेन-देन होता है। यही कारण है कि आरबीआई पीआरबी को अपनी निगरानी में रखना चाहता है।
- आरबीआई ने कहा कि दुनियाभर में पेमेंट सिस्टम्स केंद्रीय बैंकों के अधीन कार्य करते हैं।
- दुनिया भर में क्रेडिट और डेबिट काड्र्स बैंक ही जारी करते हैं। ऐसे में इन पर दोहरे नियमन की अपेक्षा नहीं की जाती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) कानून 2007 में संशोधन हेतु गठित समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. समिति द्वारा भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की गयी है।
2. भुगतान नियामक बोर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन रहेगी।
3. भुगतान नियामक बोर्ड का अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) 1 और 3
(b) 2 और 3
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त सभी

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. स्वतंत्रता उपरांत भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्थापित निकाय कहीं न कहीं भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर रहे है। ऐसे में भुगतान प्रणाली हेतु पुनः एक पृथक निकाय की स्थापना करना कहाँ तक उचित है?

नोट :
20 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) और 2(b) होगा।